वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा.....जिला नजारत/ स्थापना

सं0 सं0– 10/जि0अ0गृ0–002–3/2010 –सा0प्र0– 6078 /

**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

समाहरणालय
03 JUL 2010
मधेपुरा

प्रेषक,

बिमलेश कुमार झा
सरकार के उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक–23 जून, 2010

**विषय :–** **जिला अतिथि गृह के लिए निर्धारित कमरा किराया/दर का पुनरीक्षण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये निदेशानुसार कहना है कि राज्य के विभिन्न जिला अतिथि गृह (पूर्व में परिसदन) के कमरों के किराये का पुनरीक्षण निम्न रूप से करने का निर्णय लिया गया है :–

1. **वातानुकूलित कमरों के लिए** :–
   (क) सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए रू0 40/– प्रतिदिन प्रति कमरा ।
   (ख) गैर सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए रू0 75/– प्रतिदिन प्रति कमरा ।
   (ग) गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए निर्धारित किराया (कमरा उपलब्ध होने की स्थिति में ) रू0 150/– प्रतिदिन प्रति कमरा ।

2. **गैर वातानुकूलित कमरों के लिए** :–
   (क) सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए रू0 30/– प्रतिदिन प्रति कमरा ।
   (ख) गैर सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए रू0 50/– प्रतिदिन प्रति कमरा ।
   (ग) गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए (कमरा उपलब्ध रहने की स्थिति में) रू0 100/– प्रतिदिन प्रति कमरा ।

103
03/07/10

इस क्रम में जिला अतिथि गृह (पूर्व में परिसदन) मे कोई आवंटी कितने दिनों तक सामान्य दर पर राशि भुगतान कर सकते हैं, इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(कृ0 पृ0 उ0)

(क) एक सप्ताह तक उपर्युक्त सामान्य दर पर ।

(ख) यदि एक सप्ताह के बाद भी कुल 15 दिनों तक रहें तो उन्हें दूसरे सप्ताह में सामान्य मुल्य से डेढ़ गुणा राशि भुगातन करना होगा ।

(ग) 15 दिनों के पश्चात् जिला अतिथि गृह में रहना नियम विरूद्ध होगा तथा आवंटी से जबरन कमरा खाली कराने की कार्रवाई की जायेगी।

(घ) 15 दिनों के बाद जिला अतिथि गृह का कमरा खाली नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को तबतक उनका आवास भत्ता भुगतेय नहीं होगा जबतक की वे कमरा खाली नहीं करते।

उपर्युक्त व्यवस्था राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं माननीय विधायकों/सांसदों के लिए भी समान रूप से लागू होगी।

अनुरोध है कि पूर्व में उक्त संबंध में निर्गत सभी आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(बिमलेश कुमार झा)
सरकार के उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10/जि0अ0गृ0–002–3/2010–सा0प्र0/पटना, दिनांक– 23 जून, 2010

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सदस्य राजस्व पर्षद/अध्यक्षलोक उद्योम ब्यूरो/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/10

सरकार के उप सचिव।